बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 324635 पटना, दिनांक 29/8/2017

ग्रा0वि0- 07(अं0)-05/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत विभिन्न स्तर पर बैंक खाता के संधारण के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 317112 दिनांक 12.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक- 11-12 जुलाई, 2017 को आयोजित Public Financial Management System (PFMS) से संबंधित कार्यशाला में निदेशित किया गया है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर संधारित सभी खातों का निबंधन Public Financial Management System (PFMS) Portal पर कराया जाना अनिवार्य है ताकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र में प्रदर्शित अवशेष राशि का मिलान PFMS Portal पर निबंधित खातों से किया जा सके । Public Fund Management System (PFMS) Portal पर वर्तमान में जिला स्तर के 294 खाते, प्रखंड स्तर के 1348 खाते तथा ग्राम पंचायत स्तर के 10882 खाते पूर्व से निबंधित है (प्रति संलग्न) ।

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मजदूरी का भुगतान National - Electronic Fund Management System (Ne-FMS) के माध्यम से सीधे मजदूर के खाते में किया जाता है तथा सामग्री मद का भुगतान Electronic Fund Management System के माध्यम से सीधे भेन्डर / विक्रेता के खाते में कराये जाने का प्रावधान है ।इसलिय मजदूरी एवं एवं सामग्री मद की स्थिति में जिला स्तर / प्रखंड स्तर पर खाता संधारण करने की आवश्यकता नहीं है । केवल प्रशासनिक मद में भुगतान तथा Tax की कटौती हेतु ही जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर खाता का संधारण किया जाना है । पंचायत स्तर पर किसी भी खाता के संधारण की आवश्यकता नहीं है ।

इस क्रम में विभाग द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तर पर बैंक खातों के प्रबंधन हेतु निम्न निर्णय लिया गया है :-

<u>जिला स्तर पर खातों का प्रबंधन</u> :-

1. जिला स्तर पर केवल एक ही बैंक खाता का संधारण किया जाय, जिसमें आकस्मिकता मद में FTO के माध्यम से प्राप्त राशि तथा सामग्री भुगतान के क्रम में कटौती की जा रही Tax (TDS of GST & TDS of Income Tax) की राशि का संधारण किया जाए ।

   पूर्व से संधारित अन्य सभी खातों की राशि का अंतरण जिला स्तरीय आकस्मिकता मद एवं Tax हेतु संधारित एकल खाता में करते हुए, इस प्रकार अन्य खातों से स्थानांतरित राशि को समेकित करते हुए सभी राशि को State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 खाते में अंतरित कर दिया जाए और इसकी विवरणी विभाग को संसूचित किया जाए । आकस्मिकता मद एवं Tax हेतु संधारित एकल खाता को छोड़कर अन्य सभी खातों को अविलम्ब बंद करने की कार्रवाई की जाए ।

   एकल खातें में आकस्मिकता एवं कटौती की गई Tax की राशि के अतिरिक्त कोई राशि नहीं रखी जाए । किसी भी परिस्थिति में आकस्मिकता के लिए आवश्यक राशि (वाउचर के विरुद्ध) से अधिक राशि प्राप्त नहीं की जाए एवं उसका भुगतान बिना विलम्ब के कर दिया जाए । आदर्श रूप में (Ideally) प्रत्येक वर्ष मार्च माह में अंतिम कार्य दिवस को इस खातें में शून्य राशि अवशेष रखने का प्रयास किया जाय ।
2. अभिसरण से कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली राशि का संधारण एक अलग खाते में किया जायेगा तथा इस खाते का निबंधन Public Financial Management System (PFMS) पर नहीं कराया जायेगा ।
3. FTO के माध्यम से प्राप्त राशि को छोड़कर अन्य श्रोतों से प्राप्त राशि (यथा- Recovery की गयी राशि, Post office से वसूल की गयी Rolling Money आदि) को अविलंब State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 खाते में अंतरित कर दिया जाए और इसकी विवरणी विभाग को संसूचित किया जाए ।
4. आकस्मिकता मद एवं Tax के लिए एकल खाता का विवरणी एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि PMFS पर उसे निबंधित किया जा सके ।
5. जिन खातों को बंद किया जा रहा है उसका विवरणी भी उपलब्ध कराया जाए ।

<u>प्रखंड स्तर पर खातों का प्रबंधन</u> :-

6. प्रखंड स्तर पर FTO के माध्यम से आकस्मिकता मद की राशि प्राप्त करने एवं सामग्री मद में भुगतान के क्रम में कटौती की गई राशि प्राप्त करने हेतु एक खाते का संधारण किया जाय । इस खातें का विवरणी एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि Public Financial Management System (PFMS) Portal पर निबंधित किया जाए ।
7. अभिसरण से कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली राशि का संधारण एक अलग खाते में किया जायेगा तथा इस खाते का निबंधन Public Financial Management System (PFMS) पर नहीं कराया जायेगा ।

8. प्रखंड स्तर पर अन्य खातों में अवशेष राशि का अंतरण जिला स्तर पर आकस्मिकता मद हेतु संधारित खाते में करते हुए अविलम्ब बंद करने की कार्रवाई की जाए । जिला का यह दायित्व होगा कि प्रखंडों से राशि को समेकित करते हुए उसका अंतरण अविलंब State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 खाते में किया जाए और उसका विवरणी विभाग को संसूचित किया जाये ।

9. सामग्री भुगतान के क्रम में श्रोत से कटौती की गई Tax (TDS of GST & TDS of Income Tax) की राशि भी प्रखंड स्तर पर संधारित खाते में रखा जायेगा । पूर्व में विभागीय पत्रांक 317112 दिनांक 12.07.2017 में प्रखंड स्तर पर आकस्मिकता मद के खाता संधारण के संबंध में दिये गये मार्गनिर्देश को यथासंशोधित समझा जाए ।

<u>ग्राम पंचायत स्तर पर खातों का प्रबंधन</u> :-

10. ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार के खाता का संधारण नहीं किया जाए । पूर्व से ग्राम पंचायत स्तर के खातों (सूची संलग्न) में अवशेष राशि का अंतरण जिला स्तर पर आकस्मिकता मद हेतु संधारित खाते में करते हुए अविलम्ब बंद करने की कार्रवाई की जाए । जिला का यह दायित्व होगा कि ग्राम पंचायत से प्राप्त समेकित राशि का अंतरण अविलंब State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 खाते में किया जाए और इसकी विवरणी विभाग को संसूचित किया जाये ।

जिला स्तर पर यह आकलन कर लिया जाए कि पूर्व से संधारित खातों में से किन खातों को प्रखंड एवं जिला स्तर पर कंडिका- 01 एवं 06 के आलोक में संधारित करना है (सूची संलग्न) तथा शेष खातों (ग्राम पंचायत के खाता सहित) को बंद करते हुए उसकी विविरणी विभाग को विहित प्रपत्र में (प्रपत्र संलग्न) भेज दी जाए ताकि इसे Public Financial Management System (PFMS) Portal से हटाया जा सके । साथ ही बैंको से Closure Certificate with interest की छायाप्रति दिनांक-15.09.2017 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुरोध है कि उपरोक्त दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,

25/8/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

प्रपत्र

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम (ग्राम पंचायत / प्रखंड / जिला)	बैंक का नाम	ब्रांच का नाम	ब्रांच का आई0एफ0एस0सी0 कोड	खाता संख्या	अवशेष राशि जिसे SEGF खाते में अंतरित किया गया है (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7